भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3790
जिसका उत्तर मंगलवार 09 अगस्त, 2016 को दिया जाना है

पुराने वाहनों का परिवर्तन

3790. श्री विद्युत वरण महतो:
कुँवर हरिवंश सिंह:
श्री सुधीर गुप्ता:
डॉ सुनील बलीराम गायकवाड़:
श्री एस. आर. विजय कुमार:
श्री गजानन कीर्तिकर:
श्री टी. राधाकृष्णन:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रेट्रोफिटिंग के जरिए पुराने वाहनों को हाइब्रिड/इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तन की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे सहित कथित परिवर्तन के लक्ष्य व उद्देश्य क्या हैं;

(ग) इस संबंध में परिवर्तन पर कितना व्यय आने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार ने वैश्विक ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी कंपनियों से देश में रेट्रोफिटिंग तकनीक प्रदान करने की सिफारिश की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में वैश्विक कंपनियों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) क्या सरकार ने उक्त प्रयोजनार्थ निर्माताओं का प्रमाणन करने हेतु दिशानिर्देश तैयार किए हैं और इस प्रयोजनार्थ निर्माताओं व अधिकृत इंस्टालर्स की सूची तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) से (ग): भारत सरकार ने हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों पर बल देते हुए फेम- इंडिया स्कीम [भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों के तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण] तैयार की है जिससे कि ये वाहन खरीदारों की पहली पसंद बन जाएं और ये वाहन पारम्परिक वाहनों की जगह ले लें और इस प्रकार, ऑटोमोबाइल सेक्टर से देश में तरल ईंधन की खपत में कमी हो सके तथा स्कीम में एक्सईवी (रेट्रोफिटमेंट किट सहित) के पात्र खरीदारों को मांग प्रोत्साहन (वित्तीय) उपलब्ध कराने की गुंजाइश है। सरकार ने इस स्कीम में पुराने वाहनों को हाइब्रिड/इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तित करने की लागत स्पष्ट नहीं की है। तथापि, सरकार उन उपभोक्ताओं के लिए कीमत में शुरूआती कटौती के रूप में प्रोत्साहन की पेशकश कर रही है जो इस स्कीम के अंतर्गत इलेक्ट्रिक/हाइब्रिड वाहन (रेट्रोफिटमेंट किट सहित) खरीदते हैं। इस स्कीम को दिनांक 13 मार्च, 2015 की राजपत्र अधिसूचना का.आ. 830(ई) में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह भारी उद्योग विभाग की वेबसाइट [http://dhi.nic.in] पर उपलब्ध है।

(घ): जी, नहीं।

(ङ): उपर्युक्त (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(च): सरकार ने स्कीम के अंतर्गत मांग प्रोत्साहन का लाभ उठाने के लिए ऑटोमोबाइल विनिर्माण कंपनियों तथा वाहन के मॉडलों के लिए सामान्य प्रचालनकारी दिशानिर्देश जारी किए हैं।

****